

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2025 राजस्व अपील

1. सुमेरसिंह पुत्र नवल जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर तहसील महवा जिला दौसा।
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुमेरसिंह मु. नं. 52/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का बडगांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेड़ला बुजुर्ग के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांत ने संवत 2082 में ग्राम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 0.23 है0 में से 0.22 है0 भूमि किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया व नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलांत की विधिवत रूप से असालतन तामिल नही हुई बल्कि जो नोटिस पर तामिल बताई जाती है वह उसकी पत्नि को दिया जाना बताया गया है। अपीलांत को सुनवाई व सबूत का अवसर ही नही मिला इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तामिल के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये बिना पटवारी के बयान लिये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बेदखली व 30 दिवस के कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश दिनांक 19.09.2025 पारित कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलांत द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्त एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।


बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम, उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांत की न तो विधिवत असालतन तामिल हुई न अपीलांत को कोई नोटिस मिला तथा जो नोटिस देना बताया गया है। उसमें अपीलांत की पत्नि का अगूठा होना बताया गया है। अपीलांत को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नही मिला। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए। अपीलांत ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया न ही काश्त की। बल्कि उक्त चरागाह भूमि अपीलांत की खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि है। चरागाह भूमि का सीमाज्ञान भी नही हो रहा है। पटवारी हल्का के बयान भी अपीलांत के समक्ष नही हुये और न ही अपीलांत को पटवारी हल्का से जिरह को कोई अवसर ही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्श नही हुई जो बिना प्रदर्श साक्ष्य मे ग्रहयोग्य नही थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय न होने के बावजूद भी अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2025 को निरस्त फरमावे।


अति. जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत् 2082 में प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 19 रकबा 0.23 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्त बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी संवत् 2081 एवं इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिसकी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमी को पूर्व में बेदखल किया गया था। लेकिन अपीलान्त द्वारा संवत् 2082 में पुनः अतिक्रमण कर लिया। जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शारित से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 19.09.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।


बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलान्त आदेश दिनांक 19.09.2025 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।




(अरविन्द शर्मा)

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(अरविन्द शर्मा)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा